आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– 76/2013 सुजीता देवी वनाम राज्य एवं अन्य

08/15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
04.07.2017	*आदेश* उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 76/2013 सुजीता देवी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया। अपीलवाद में कहा गया है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 597 दिनांक 19.10.2011 से श्रीमती सुजीता देवी, आंगनवाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 02 बरैय पंचायत से बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, खगड़िया के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 06.09.2011 को उनके आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया था जिसमें कई प्रकार का अनियमितता दर्शायी गयी है। आंगनवाड़ी सेविका द्वारा दिनांक 28.10.2011 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 626 दिनांक 08.11.2011 द्वारा यह उल्लेख करते हुए आंगनबाड़ी सेविका का चयन मुक्त कर दिया गया कि टेक होम राशन वितरण में भाड़ी गड़बड़ी एवं अनियमितता पायी गयी है तथा अपीलार्थी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 2348/2012 सुजीता देवी वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजातों का परिशीलन किया। संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :– विभागीय निदेश के आलोक में सहायक निदेशक	

आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 06.09.2011 को खगड़िया प्रखंड अन्तगत तीन आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया। जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 02 का भी निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2499, दिनांक 23.09.2011 से प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 02 झोपड़ी में चलता है। कई बच्चों के शरीर पर बस्त्र नहीं था। महिलाओं ने बताया कि उन्हें टी0एच0आर0 के दिन 02 गिलास चावल तथा 01गिलास दाल मिलता है। लाभुकों द्वारा कम मात्रा में पोषाहार वितरण करने संबंधी ब्यान दिया गया तथा सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। तद्आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 597 दिनांक 19.10.2011 से श्रीमति सुजीता देवी, सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–2 वरैय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 626 दिनांक 08.11.2011 से आंगनबाड़ी सेविका को तत्काल प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया गया।

उपरोक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश के विरूद्ध उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के यहॉ अपील दाखिल किया गया और सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में यह अपील वाद हस्तान्तरित होकर उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलार्थी पिछले सात साल से सेविका के पद पर कार्यरत है । कभी भी इनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा है। बल्कि समय–समय पर ग्राम पंचायत राज के मुखिया एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया है एवं केन्द्र को सुचारूरूप से चलते हुए पाया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 597 दिनांक 19.10. 2011 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.10.2011 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये आंगनबाड़ी सेविका को चयनमुक्त कर दिया गया। यह निरंकुश आदेश है, प्रकृति न्याय का सरासर उल्लंघन है। बिना किसी आरोप के अपीलार्थी को चयनमुक्त करना असंवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का अपील स्वीकार करने योग्य है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 2348/2012 सुजीता देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 01.03.2012 को पारित आदेश का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कानून के तहत तर्कसंगत आदेश पारित कर वाद को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश नियमानूकुल सही है तथा अपील आवेदन खारीज योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट होता है कि सहायक निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 06.09.2011 आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–2 का निरीक्षण किया गया था तथा निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2499, दिनांक 23.09.2011 से प्राप्त निरीक्षण टिप्पणी एवं उसमें की गयी अनुशंसा के आलोक में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी तथा अपीलार्थी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने के कारण चयनमुक्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया कि वे झोपड़ी में केन्द्र चलाती है। कुछ बच्चे बिना पोशाक के आते हैं तथा सभी को टेक होम राशन नहीं दे पाती है। इससे स्पष्ट है कि सेविका द्वारा आगनबाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गयी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 626 दिनांक 08.11.2011 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया 6/11/17

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता
खगड़िया 6/11/17

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी० बी० नं०......279...... / विधि, दिनांक 29/8/2017 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 29/8/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, 29/8/17 खगड़िया।	